प्रकरण का निर्णय 2020-007-FB-FBR

<u>प्रकरण सारांश</u>

पर्यवेक्षण बोर्ड ने अपने 'हिंसा और भड़काव के सामुदायिक मानक के तहत Facebook के एक पोस्ट को हटाने का फ़ैसला पलट दिया है. जहां एक तरफ़ कंपनी ने माना है कि इस पोस्ट में अप्रत्यक्ष धमकी थी, वहीं बोर्ड के ज़्यादातर लोगों का मानना था कि उसे बहाल किया जाना चाहिए. यह निर्णय सिर्फ़ लंबित उपयोगकर्ता सूचना और सहमति पर लागू होगा.

प्रकरण के बारे में

अक्टूबर 2020 के अंत में, एक Facebook उपयोगकर्ता ने सार्वजनिक समूह में एक पोस्ट डाला. इस समूह को भारतीय मुसलमानों के फ़ोरम के तौर पर दिखाया गया था. इस पोस्ट में तुर्की टेलीविज़न शो "डिरिलिस: एर्टुग्रुल" की तस्वीर वाला मीम था, जिसमें चमड़े का कवच पहने शो का एक किरदार म्यान में तलवार लिए हुए दिखाया गया था. मीम के ऊपर हिन्दी में कुछ लिखा हुआ था. उस टेक्स्ट का Facebook की ओर से हिन्दी में अनुवाद इस तरह है: "अगर काफ़िर की ज़ुबान पैगंबर के खिलाफ़ है, तो तलवार को म्यान से बाहर निकाल लेना चाहिए." इस पोस्ट में फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को शैतान के रूप में संदर्भित करते हुए हैशटैग भी शामिल थे. साथ ही, इसमें फ़्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान भी किया गया था.

इस संदर्भ में, Facebook के अनुसार, इस सामग्री ने धार्मिक भाषण और हिंसा के संभावित खतरे के बीच तनाव को उजागर किया है, भले ही इसमें ऐसा कुछ स्पष्ट तरीके से नहीं कहा गया हो.

मुख्य निष्कर्ष

Facebook ने अपने 'हिंसा और भड़काव के सामुदायिक मानक' के तहत पोस्ट को हटा दिया. इस मानक के अनुसार, उपयोगकर्ताओं को उन सांकेतिक बयानों को पोस्ट नहीं करना चाहिए, जहां "धमकी अप्रत्यक्ष या निहित हो." Facebook ने "तलवार को म्यान से बाहर निकाल लेना चाहिए" को "काफ़िरों" के खिलाफ़ एक ख़तरनाक धमकी के रूप में माना है. कंपनी के अनुसार यह बयान गैर-मुसलमानों के खिलाफ़ बदले की भावना को दर्शाता है.

प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड के ज़्यादातर सदस्यों ने यह नहीं माना कि इस पोस्ट से नुकसान होने की संभावना है. उन्होंने Facebook के तर्क पर सवाल उठाया, जिसने न सिर्फ़ इसे धमकी के रूप में माना गया बल्कि इस समूह के पोस्ट को अनुवाद करते समय संवेदनशीलता भी बढ़ाई.

कुछ लोगों ने इस पोस्ट को धर्म की निंदा के लिए हिंसक प्रतिक्रिया की धमकी के रूप में लिया. वहीं दूसरी तरफ़, ज़्यादातर लोगों ने राष्ट्रपति मैक्रों और फ़्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार की कार्रवाई को सिर्फ़ एक आह्वान माना, जो ज़रूरी नहीं कि हिंसक ही हो. हालांकि टीवी शो के किरदार ने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है, इसके बावजूद ज़्यादातर लोगों का मानना था कि इस पोस्ट में धार्मिक रूप से प्रेरित हिंसा के प्रति मैक्रों की जवाबी कार्रवाई की आलोचना है, हिंसा की धमकी नहीं.

हालांकि, बोर्ड साफ़ करता है कि इस पोस्ट को बहाल करने का उसका निर्णय, इसकी सामग्री का समर्थन करना नहीं है.

‘अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों’ के तहत, लोगों को सभी प्रकार के विचारों पर राय लेने, पाने और प्रदान करने का अधिकार है, चाहे वे विवादास्पद या बेहद अपमानजनक ही क्यों न हों. इस वजह से ज़्यादातर लोगों ने मानना है कि जिस तरह से लोगों को धर्मों या धार्मिक हस्तियों की आलोचना करने का अधिकार है, उसी तरह धार्मिक लोगों को भी इस तरह की अभिव्यक्ति पर नाराज़गी व्यक्त करने का अधिकार है.

अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध आसानी से समझने लायक और सुलभ होना चाहिए. इस मामले में, बोर्ड ने उल्लेख किया कि अप्रत्यक्ष खतरों का निर्धारण करने के लिए Facebook की प्रक्रिया और मापदंड को ‘सामुदायिक मानकों’ में उपयोगकर्ताओं को ठीक से समझाया नहीं गया है.

अंत में, ज़्यादातर लोगों ने माना कि Facebook ने खासतौर पर इस पोस्ट के लिए, संदर्भ से जुड़ी सभी सूचनाओं का सही आकलन नहीं किया है. साथ ही, उन्होंने अभिव्यक्ति पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानक सामग्री को बहाल करने के बोर्ड के फैसले को सही ठहराया.

पर्यवेक्षण बोर्ड का **निर्णय**

बोर्ड ने Facebook के सामग्री हटाने के फ़ैसले को पलटने का निर्णय लिया है, ताकि पोस्ट को बहाल किया जा सके.

एक नीति सलाहकार के बयान के रूप में, बोर्ड ने सिफारिश की है कि Facebook:

- यह निर्णय सिर्फ़ लंबित उपयोगकर्ता सूचना और सहमति पर लागू होगा.
- Facebook उपयोगकर्ताओं को अप्रत्यक्ष धमकियों के दायरे और प्रतिबंधों को लागू करने के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करे. इससे उपयोगकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलेगी कि इस क्षेत्र में किस तरह की सामग्री की अनुमति है. Facebook को अपने प्रवर्तन मापदंड को सार्वजनिक करना चाहिए. इनमें उपयोगकर्ता के इरादे और उनकी पहचान के साथ ही, उनके ऑडियंस और व्यापक संदर्भ पर भी विचार किया जाना चाहिए.

*प्रकरण के सारांश, प्रकरण का अवलोकन प्रदान करते हैं और पूर्व उदाहरण नहीं माने जा सकते हैं.

पूर्ण प्रकरण निर्णय

1. निर्णय का सारांश

पर्यवेक्षण बोर्ड ने Facebook के एक पोस्ट को हटाने का फ़ैसला पलट दिया है. इस पोस्ट में अप्रत्यक्ष धमकी को देखते हुए, Facebook ने अपने 'हिंसा और भड़काव के सामुदायिक मानक' के तहत, यह सामग्री हटा दी थी. बोर्ड के ज़्यादातर सदस्यों ने पाया कि सामग्री को बहाल करने से, Facebook के सामुदायिक मानकों, उसके मूल्यों और 'अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों' का पालन होगा.

2. प्रकरण का विवरण

अक्टूबर 2020 के अंत में, एक Facebook उपयोगकर्ता ने सार्वजनिक समूह में एक पोस्ट डाला. इस समूह को भारतीय मुसलमानों के फ़ोरम के तौर पर दिखाया गया था. इस पोस्ट में तुर्की टेलीविज़न शो "डिरिलिस: एर्टुग्रुल" की तस्वीर वाला मीम था, जिसमें चमड़े का कवच पहने शो का एक किरदार म्यान में तलवार लिए हुए दिखाया गया था. मीम के ऊपर हिन्दी में कुछ लिखा हुआ था. उस टेक्स्ट का Facebook की ओर से हिन्दी में अनुवाद इस तरह है: "अगर काफ़िर की ज़ुबान पैगंबर के खिलाफ़ है, तो तलवार को म्यान से बाहर निकाल लेना चाहिए."

इसके साथ, अंग्रेज़ी के पोस्ट में कहा गया है कि पैगंबर, उपयोगकर्ता की पहचान, गरिमा, सम्मान और जीवन है. इसमें संक्षिप्त नाम "पीबीयूएच" (पीस बी अपॉन हिम - उसको शांति मिले) भी शामिल था. इस पोस्ट में फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को शैतान के रूप में संदर्भित करते हुए हैशटैग भी शामिल थे. साथ ही, इसमें फ़्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान भी किया गया था.
पोस्ट को लगभग 30,000 बार देखा गया, इसे 1,000 से कम टिप्पणियां मिलीं और 1,000 से कम बार शेयर किया गया.

नवंबर 2020 की शुरुआत में, Facebook ने 'हिंसा और भड़काव' पर उनकी नीति के उल्लंघन करने की वजह से इस पोस्ट को हटा दिया. Facebook का मानना था कि "काफ़िर" एक अपमानजनक शब्द है, जिसका उल्लेख मुस्लिम धर्म में आस्था न रखने वाले लोगों के लिए किया जाता है. फ़ोटो और टेक्स्ट का विश्लेषण करते हुए, Facebook ने निष्कर्ष निकाला कि यह पोस्ट "काफ़िरों" के खिलाफ़ हिंसा की अप्रत्यक्ष धमकी थी और उसे हटा दिया.

शुरू में दो Facebook उपयोगकर्ताओं ने इस पोस्ट की सूचना दी थी. एक ने इसे 'हेट स्पीच' (नफ़रत फैलाने वाला भाषण) करार दिया और दूसरे ने इसे 'हिंसा और भड़काव' के तहत सूचित किया. लेकिन, Facebook ने सामग्री को नहीं हटाया. Facebook को तब एक तीसरे-पक्ष भागीदार से जानकारी मिली कि इस सामग्री से हिंसा फैल सकती थी. Facebook ने पुष्टि की कि यह तीसरे-पक्ष वाला भागीदार, उनके विश्वसनीय भागीदार नेटवर्क का सदस्य है और किसी भी राज्य से नहीं जुड़ा है. Facebook ने इस नेटवर्क को कंपनी के लिए अतिरिक्त स्थानीय संदर्भ पाने करने का एक तरीका बताया. Facebook के अनुसार, नेटवर्क में गैर-सरकारी संगठन, मानवीय संगठन, गैर-लाभकारी संगठन और दूसरे अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं. जब तीसरे-पक्ष के भागीदार ने पोस्ट का मुद्दा उठाया, तो Facebook ने अपनी स्थानीय सार्वजनिक नीति टीम से अतिरिक्त प्रासंगिक जानकारी मांगी. तीसरे-पक्ष के भागीदार ने इस बात से सहमति जताई कि पोस्ट में धमकी की संभावना थी. Facebook ने 19 नवंबर 2020 को पर्यवेक्षण बोर्ड के समक्ष मामले को संदर्भित किया. अपने संदर्भ में, Facebook ने कहा कि वह अपने फ़ैसले को चुनौतीपूर्ण मानता है, क्योंकि इस सामग्री ने धार्मिक भाषण और हिंसा के संभावित खतरे के बीच तनाव को उजागर किया है, भले ही इसमें ऐसा कुछ स्पष्ट तरीके से नहीं कहा गया है.

3. अधिकार और दायरा

पर्यवेक्षण बोर्ड के पास अधिकार है कि वह बोर्ड के चार्टर अनुच्छेद 2.1 के तहत, Facebook के फ़ैसले की समीक्षा करे. अनुच्छेद 3.5 के तहत, बोर्ड उस निर्णय को बनाए रख सकता है या पलट सकता है. यह पोस्ट पर्यवेक्षण बोर्ड की समीक्षा के दायरे में है. यह बोर्ड के उपनियम के अनुच्छेद 2, खंड 1.2.1 में उल्लिखित सामग्री के किसी भी बाहर रखी हुई श्रेणी में नहीं आता है और इसके उपनियम के अनुच्छेद 2, खंड 1.2.2 के तहत, Facebook के कानूनी दायित्वों के साथ टकराव नहीं होता है.

4. प्रासंगिक मानक

पर्यवेक्षण बोर्ड ने अपने फ़ैसले में नीचे दिए गए मानकों पर विचार किया:

I. *Facebook के सामुदायिक मानक*

‘हिंसा और भड़काव पर सामुदायिक मानक’ में कहा गया है कि Facebook का "उद्देश्य है कि Facebook पर मौजूद सामग्री से संबंधित संभावित ऑफ़लाइन नुकसान को रोका जाए". Facebook किसी अभिव्यक्ति को तब प्रतिबंधित करता है "जब [उसे] लगता है कि इससे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए शारीरिक रूप से खतरा या प्रत्यक्ष धमकी का वास्तविक जोखिम हो सकता है." खास तौर पर, मानक यह इंगित करता है कि उपयोगकर्ताओं को ऐसे सांकेतिक बयान पोस्ट नहीं करना चाहिए "जहां हिंसा या नुकसान का तरीका स्पष्ट रूप से व्यक्त न किया गया हो, लेकिन उसमें धमकी अप्रत्यक्ष या निहित हो." Facebook के अनुसार, मानक के इस खंड को लागू करने के लिए अतिरिक्त संदर्भ की भी आवश्यकता है.

II. *Facebook के मूल्य*

इस प्रकरण के लिए प्रासंगिक Facebook के मूल्य ‘सामुदायिक मानक’ के परिचय में उल्लिखित हैं. पहला है "अभिव्यक्ति", जिसे "सबसे ज़रूरी" माना गया है:

> *हमारे समुदाय मानकों का लक्ष्य हमेशा अभिव्यक्ति के लिए एक जगह बनाना और लोगों को विचार व्यक्त करने का मौका देना है. [...] हम चाहते हैं कि लोग ऐसे मुद्दों के बारे में खुलकर बात कर सकें, जो उनके लिए मायने रखते हों, भले ही कुछ लोग उससे असहमत हों या उन्हें आपत्तिजनक लगे.*

Facebook चार अन्य मूल्यों को जगह देने के लिए "अभिव्यक्ति" को सीमित करता है: प्रामाणिकता," "सुरक्षा," "गोपनीयता" और "सम्मान." बोर्ड का मानना है कि "सुरक्षा" का मूल्य इस निर्णय के लिए प्रासंगिक है:
https://www.facebook.com/communitystandards/

> *सुरक्षा: हम Facebook को एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. Facebook पर ऐसी अभिव्यक्ति की अनुमति नहीं है, जिसमें लोगों को धमकाने, डराने या चुप कराने की क्षमता हो.*

III. *प्रासंगिक मानवाधिकार मानक जिनपर बोर्ड विचार करता है*

व्यवसाय और मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शी सिद्धांतों (UNGP) को 2011 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने समर्थित किया था. यह निजी व्यवसायों के मानवाधिकारों की ज़िम्मेदारियों के लिए एक स्वैच्छिक रूपरेखा स्थापित करते हैं. UNGP के अनुसार, इस मामले में नीचे दिए गए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों पर विचार किया गया था:
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार: नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR), अनुच्छेद 19 अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र, सामान्य टिप्पणी सं. 34, मानवाधिकार समिति (2011) (GC34); रबात की कार्य योजना.

  https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
  https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
- व्यक्ति के जीवन और सुरक्षा का अधिकार: ICCPR अनुच्छेद 6 और 9, पैरा. 1.

5. उपयोगकर्ता कथन

जिस उपयोगकर्ता ने प्रकरण को पर्यवेक्षण बोर्ड को संदर्भित किया था, Facebook ने उसको सूचित किया, और उपयोगकर्ता को बोर्ड के साथ पोस्ट के बारे में और जानकारी साझा करने का अवसर दिया. संदर्भ के समय से उपयोगकर्ता को अपना बयान प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था. बोर्ड को उपयोगकर्ता से कोई बयान नहीं मिला.

6. Facebook के निर्णय की व्याख्या

Facebook ने सबसे पहले संभावित 'हेट स्पीच' उल्लंघन के लिए पोस्ट का मूल्यांकन किया और सामग्री को नहीं हटाया. Facebook ने यह संकेत नहीं दिया कि "काफ़िर" शब्द प्रतिबंधित अपशब्दों की सूची में दिया गया है. इस बात का भी इशारा नहीं किया गया कि इस पोस्ट ने 'हेट स्पीच' नीति का उल्लंघन किया है.

Facebook ने तब इस सामग्री को अपने 'हिंसा और भड़काव के सामुदायिक मानक' के आधार पर हटा दिया. उस मानक के तहत, Facebook ऐसी सामग्री पर प्रतिबंध लगाता है, जो "सार्वजनिक सुरक्षा के लिए शारीरिक नुकसान या प्रत्यक्ष धमकी का वास्तविक जोखिम" पैदा करती है. इसमें ऐसे सांकेतिक कथन भी शामिल हैं "जहां हिंसा या नुकसान का तरीका स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जाता है, लेकिन धमकी अप्रत्यक्ष या निहित होती है." Facebook ने स्पष्ट किया कि उसके विचार में, अप्रत्यक्ष धमकियां "उपयोगकर्ताओं के लिए उतनी ही खतरनाक हो सकती हैं, जितनी खतरनाक हिंसा की स्पष्ट धमकियां होती हैं." Facebook के अनुसार, कुछ गैर-सार्वजनिक मानदंडों के पूरा होने पर अप्रत्यक्ष धमकी को हटा दिया जाता है.

इन मानदंडों के आधार पर, Facebook ने पाया कि "तलवार को म्यान से बाहर निकाल लेना चाहिए" आम तौर पर "काफ़िरों" के खिलाफ़ एक अप्रत्यक्ष धमकी थी. इस मामले में, Facebook की व्याख्या के अनुसार, "काफ़िर" शब्द में, गैर-मुसलमानों के खिलाफ़ अपमानजनक और बदला लेने का लहज़ा था और "तलवार" का संदर्भ बदले की कार्रवाई की धमकी थी. यह भी पाया गया कि इसमें "ऐतिहासिक हिंसा का निहित संदर्भ है."

Facebook ने कहा कि उस संदर्भ पर विचार करना ज़रूरी था, जिसमें सामग्री पोस्ट की गई थी. Facebook के अनुसार, सामग्री उस समय पोस्ट की गई, जब फ़्रांस में चार्ली हेब्दो के मुकदमे और भारत के बिहार राज्य में चुनाव के चलते देश में धार्मिक तनाव था. Facebook ने मुसलमानों के खिलाफ़ बढ़ती हिंसा का ज़िक्र किया, जैसे न्यूज़ीलैंड के क्राइस्टचर्च में एक मस्जिद पर हमला हुआ था. उसने इस बात का भी उल्लेख किया कि मुसलमान बदले की भावना से हिंसा की कार्रवाई भी कर सकते हैं. इस बात की संभावना थी कि मुसलमानों को धमकी मिले या वे खुद धमकी दें.

Facebook ने आगे बताया कि उसकी 'हिंसा और भड़काव की नीति' अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप है. Facebook के अनुसार, उसकी नीति को "दूसरों के अधिकारों को बनाए रखने

और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुनासिब प्रतिबंध के लिए जरूरी ‘आवश्यकता और आनुपातिकता' के तत्वों को संरक्षित करने के लिए बारीकी से बनाया गया है."

7. तीसरे पक्ष का कथन

बोर्ड को इस मामले से संबंधित छह सार्वजनिक टिप्पणियां मिलीं. एशिया प्रशांत और ओशिनिया से एक, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से एक और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से चार टिप्पणियां थीं. इन कथनों में विभिन्न विषय मौजूद थे, जैसे उपयोगकर्ता की पहचान और प्रभाव को जानना कि उसने कहां और किस समूह में पोस्ट किया. साथ ही, लक्ष्य को पहचानने का महत्व कि क्या पोस्ट ने मशहूर हस्तियों या निजी व्यक्तियों को लक्षित किया है. इसके अलावा, यह जानने की कोशिश भी की गई कि क्या उपयोगकर्ता का इरादा भारतीय मुसलमानों की हानिकारक रूढ़िवादिता को हिंसा के रूप में प्रोत्साहित करने का था; क्या सामग्री Facebook के सामुदायिक मानकों के तहत अप्रत्यक्ष धमकी मानक को पूरा करती है; क्या इस मामले में ‘हिंसा और भड़काव की नीति’ लागू थी; क्या पोस्ट को Facebook की ‘हेट स्पीच’ नीति के तहत हिंसक भाषण माना जाएगा. साथ ही, बोर्ड की सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रतिक्रिया भी दी गई थीं.

इस प्रकरण के लिए प्रस्तुत की गई सार्वजनिक टिप्पणियों को पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें.

8. पर्यवेक्षण बोर्ड का विश्लेषण

8.1 सामुदायिक मानकों का अनुपालन

बोर्ड के ज़्यादातर सदस्यों ने पाया कि इस सामग्री को बहाल करने से Facebook के सामुदायिक मानकों का अनुपालन होगा.

Facebook ने संकेत दिया कि सामग्री में अप्रत्यक्ष धमकी है, जो ‘हिंसा और भड़काव के सामुदायिक मानक’ के हिसाब से निषिद्ध है. मानक में बताया गया है कि उपयोगकर्ताओं को ऐसे सांकेतिक बयान पोस्ट नहीं करना चाहिए "जहां हिंसा या नुकसान का तरीका स्पष्ट रूप से व्यक्त न किया गया हो, लेकिन उसमें धमकी अप्रत्यक्ष या निहित हो." Facebook ने बोर्ड को दिए अपने तर्क में कहा कि मानक के इस प्रावधान की व्याख्या करने में उसका ध्यान, "हो सकने वाले शारीरिक नुकसान" पर केंद्रित है.

बोर्ड के सदस्यों ने सर्वसम्मति से हिंसा की अप्रत्यक्ष धमकियों को हल करने को ज़रूरी माना और चिंता जताई कि कुछ उपयोगकर्ता, सामुदायिक मानकों के उल्लंघन करके अप्रत्यक्ष धमकियां दे रहे हैं. सदस्यों ने इस तरह के खतरों को दूर करने में Facebook के सामने आने वाली बहुत सारी चुनौतियों को यह देखते हुए स्वीकार किया कि उनका प्रासंगिक विश्लेषण भी करना पड़ता है.

लक्ष्य को परिभाषित करने, पोस्ट की टोन, और इस सामग्री द्वारा विश्व स्तर पर और भारत में शारीरिक नुकसान या हिंसा के जोखिम को लेकर बोर्ड के सदस्यों के विचार अलग-अलग थे. बोर्ड के ज़्यादातर सदस्यों ने यह भी माना कि हैशटैग का इस्तेमाल, फ़्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार के लिए आहवान करना, गैर-हिंसक विरोध और मौजूदा राजनीतिक घटनाओं पर विचार-विमर्श का हिस्सा था. इस संदर्भ में किसी टीवी शो के मीम का उपयोग हिंसा का हवाला देने के लिए करना, बहुमत द्वारा शारीरिक नुकसान के तौर पर नहीं माना गया.

Facebook के स्पष्टीकरण के संबंध में, बोर्ड ने उल्लेख किया कि Facebook ने भारत में चल रहे तनावों का हवाला देकर अपने फ़ैसले को सही ठहराया. हालांकि, दिए गए उदाहरण इस संदर्भ से संबंधित नहीं थे. उदाहरण के लिए, पैगंबर मुहम्मद के कार्टून चित्रण के जवाब में फ़्रांस में की गई हत्याओं के बाद राष्ट्रपति मैक्रों के बयान की प्रतिक्रिया में भारत में हुए विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने की रिपोर्ट नहीं थी. Facebook ने भारत के बिहार राज्य में 7 नवंबर 2020 के चुनावों का भी हवाला दिया. अभी तक बोर्ड का शोध बताता है कि इस चुनाव में धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ़ हिंसा नहीं की गई. बोर्ड ने सर्वसम्मति से पाया कि संदर्भ के विश्लेषण के लिए अप्रत्यक्ष धमकियों को समझना ज़रूरी है, फिर भी इस खास मामले में भारत में संभावित हिंसा के संबंध में ज़्यादातर सदस्यों को Facebook के संदर्भ संबंधी तर्क नहीं मिले.

कुछ सदस्यों ने Facebook की आंतरिक प्रक्रिया की सराहना की, जो एक तीसरे-पक्ष भागीदार के मूल्यांकन पर निर्भर थी. यह Facebook के इस निर्धारण को टाल देगी कि पोस्ट में हिंसा को बढ़ावा देने का अस्वीकार्य जोखिम है. इस दृष्टिकोण ने स्वीकार किया कि Facebook ने क्षेत्रीय और भाषाई विशेषज्ञों से परामर्श किया और यह मूल्यांकन किया कि “काफ़िर” शब्द अपमानजनक था. अल्पसंख्यकों ने बोर्ड के फ़ैसले को पलटने के लिए इसे मजबूत आधार नहीं माना.
इसके अनुसार, ज़्यादातर सदस्यों ने पाया कि बोर्ड का स्वतंत्र विश्लेषण, ‘हिंसा और भड़काव के सामुदायिक मानक’ के तहत पोस्ट को बहाल करने का समर्थन करता है.

8.2 Facebook के मूल्यों का अनुपालन

बोर्ड के ज़्यादातर सदस्यों ने पाया कि सामग्री को बहाल करने से कंपनी के मूल्यों का अनुपालन होगा. हालांकि Facebook का "सुरक्षा" का मूल्य, खास तौर पर भारत में धार्मिक तनावों को देखते हुए ज़रूरी है, इस सामग्री ने "सुरक्षा" के लिए ऐसा कोई खतरा पैदा नहीं किया है, जो "अभिव्यक्ति" को हटाने के लिए उचित हो. बोर्ड ने अप्रत्यक्ष धमकियों से निपटने के दौरान Facebook को इन मूल्यों को संतुलित करने में सामने आने वाली चुनौतियों को भी माना. कुछ सदस्यों ने इन परिस्थितियों को "सुरक्षा" के पक्ष में "अभिव्यक्ति" हटाने को उचित ठहराया.

8.3 मानवाधिकार मानकों का अनुपालन

बोर्ड के ज़्यादातर सदस्यों ने पाया कि इस सामग्री को बहाल करना, Facebook के अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप है.

ICCPR के अनुच्छेद 19 के अनुसार, लोगों को सभी तरह के विचारों पर राय लेने, पाने और प्रदान करने का अधिकार है, चाहे वे विवादास्पद या बेहद अपमानजनक ही क्यों न हों (सामान्य टिप्पणी सं. 34, पैरा. 11). अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में ऐसे विचारों का प्रसार शामिल है, जिसे धर्म की निंदा से संबंधित होने के साथ ही इस तरह के भाषण के विरोध में भी माना जा सकता है. इस संबंध में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में धर्मों, धार्मिक सिद्धांतों और धार्मिक हस्तियों की आलोचना करने की स्वतंत्रता शामिल है (सामान्य टिप्पणी सं. 34, पैरा. 48). राजनैतिक अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है और इसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत अतिरिक्त सुरक्षा प्राप्त है (सामान्य टिप्पणी सं. 34, पैरा. 34 और 38). इसमें मशहूर हस्तियों का बहिष्कार और उनकी आलोचना शामिल है.

वहीं पर, बोर्ड यह मानता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूरा नहीं है और असाधारण रूप से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत सीमाओं के अधीन है. इस मामले में, रबात की कार्य योजना में कारकों पर चर्चा करने के बाद, बोर्ड का मानना था कि इस पोस्ट में इतनी धार्मिक नफ़रत नहीं है कि यह भेदभाव, शत्रुता या हिंसा भड़का सकती है. राज्यों को इस स्थिति के लिए ICCPR अनुच्छेद 20 , पैरा. 2 के तहत प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत पड़ती है. ICCPR अनुच्छेद 19, पैरा. 3 के अनुसार अभिव्यक्ति के प्रतिबंधों को आसानी से समझने और इन्हें सुलभ बनाने (वैधता की ज़रूरत) की आवश्यकता होती है, जिसमें कई सूचीबद्ध लक्ष्यों (वैध लक्ष्य की आवश्यकता) में से किसी एक को आगे बढ़ाने का उद्देश्य होता है. इसे खास उद्देश्य

(ज़रूरतें और आनुपातिकता आवश्यकता) के अनुरूप आवश्यक और बारीकी से जुड़ा होना चाहिए. बोर्ड ने इन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, Facebook के पोस्ट हटाने के फ़ैसले पर चर्चा की.

I. *वैधता*

वैधता के मुद्दे पर बोर्ड का कहना था कि अप्रत्यक्ष धमकियों को निर्धारित करने की Facebook की प्रक्रिया और मापदंड को उपयोगकर्ताओं को सामुदायिक मानकों में नहीं समझाया गया है. इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि नीति को लागू करने के लिए किस तरह के "अतिरिक्त संदर्भ" की आवश्यकता है.

II. *वैध उद्देश्य*

बोर्ड ने आगे माना कि इस मामले में अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाना एक वैध उद्देश्य का काम करेगा: दूसरों के अधिकारों की रक्षा (उन लोगों के जीवन और अखंडता के अधिकार जिन्हें पोस्ट में लक्षित किया गया है).

III. *ज़रूरतें और आनुपातिकता*

बोर्ड के ज़्यादातर सदस्यों ने अपने खास संदर्भ में पोस्ट के मूल्यांकन के महत्व पर ज़ोर देते हुए माना कि पोस्ट को हटाना ज़रूरी नहीं था.

उन्होंने माना कि जिस तरह से लोगों को धर्म और धार्मिक हस्तियों की आलोचना करने का अधिकार है, उसी तरह से धर्म के अनुयायियों को भी इस तरह की अभिव्यक्ति पर अपनी जवाबी कार्रवाई को व्यक्त करने का अधिकार है. बोर्ड ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा की गंभीर प्रकृति की बात मानी. ज़्यादातर सदस्यों ने राष्ट्रपति मैक्रों के संदर्भ और फ़्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार को भी गैर-हिंसक कार्रवाई के रूप में माना. इस संबंध में, हालांकि पोस्ट में एक तलवार का संदर्भ दिया गया था, ज़्यादातर सदस्यों का मानना था कि इस पोस्ट में धार्मिक रूप से प्रेरित हिंसा के प्रति मैक्रों की जवाबी कार्रवाई की आलोचना है, हिंसा की धमकी नहीं.

बोर्ड ने यह निर्धारित करने में कई कारकों पर विचार किया कि नुकसान असंभव था. लक्ष्य की प्रकृति ("काफ़िर") का अस्पष्ट होने और किसी शारीरिक नुकसान या हिंसा की संभावना कम होने की वजह से ज़्यादातर सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे. यह भी महत्वपूर्ण था कि उपयोगकर्ता

चरमपंथी या कोई मशहूर हस्ती नहीं था और दूसरों के ऊपर खास प्रभाव डालने की क्षमता वाला भी नहीं था. इसके अलावा, किसी खास समय या किसी भी धमकी या उकसाने वाली कार्रवाई की जगह का भी कोई संदर्भ नहीं था. बोर्ड की रिसर्च में पाया गया कि मैक्रों के बयानों के बाद भारत में विरोध प्रदर्शन कथित तौर पर हिंसक नहीं थे. इस संबंध में, कुछ बोर्ड के सदस्यों के अनुसार, भारत के Facebook समूह को लक्षित किया गया था और खासकर हिन्दी भाषी लोगों को. इसका मतलब है कि प्रभाव का दायरा एक ऐसे क्षेत्र तक सीमित हो सकता है, जिसमें हिंसक प्रतिक्रियाएं नहीं देखी गई थीं. इसके अतिरिक्त, बोर्ड के कुछ सदस्यों ने माना कि Facebook के दिए गए उदाहरण मुख्य रूप से भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक के खिलाफ़ हिंसा से संबंधित हैं. बोर्ड के सदस्यों ने इसे चिंता का विषय माना, न कि मुसलमानों की बदला लेने वाली हिंसा को. इसलिए, ज़्यादातर सदस्यों ने निष्कर्ष निकाला कि इन कारकों का मतलब था कि इस पोस्ट से शारीरिक नुकसान की संभावना नहीं थी.

कुछ सदस्यों ने पोस्ट को धमकी या धर्म की निंदा के लिए किसी भी तरह की हिंसात्मक प्रतिक्रिया से भरा पाया. हालांकि, "तलवार" आम हिंसा का एक संदर्भ है, लेकिन कुछ सदस्यों ने माना कि चार्ली हेब्दो से संबंधित हत्याएं और फ़्रांस में हाल ही में धर्म की निंदा को देखते हुए इन धमकियों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है. फ़्रांस में हैशटैग का संदर्भ देने वाली घटनाएं इस व्याख्या का समर्थन करती हैं. इस मामले में, कुछ सदस्यों का कहना था कि Facebook को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग करके धमकी देने या डराने वाली सामग्री को हटाने से पहले घटना के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए. उन्होंने Facebook के फ़ैसले को सही ठहराया.

ज़्यादातर सदस्यों ने पाया कि Facebook ने सभी संदर्भित जानकारी का सही मूल्यांकन नहीं किया है. बोर्ड ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सामग्री को बहाल करने का मतलब इस सामग्री के साथ समझौता नहीं है, और अप्रत्यक्ष या सांकेतिक खतरों का मूल्यांकन करने में जटिलताओं का उल्लेख किया. बहरहाल, सामग्री के इस खास हिस्से के लिए, अभिव्यक्ति पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानक, सामग्री को बहाल करने के बोर्ड के फ़ैसले को सही ठहराते हैं.

9. पर्यवेक्षण बोर्ड का निर्णय

9.1 सामग्री का निर्णय

पर्यवेक्षण बोर्ड ने सामग्री को हटाने के Facebook के फ़ैसले को पलट दिया, जिससे पोस्ट को बहाल करने की आवश्यकता हुई.

9.2 नीति सलाहकार कथन

यह निर्णय सिर्फ़ लंबित उपयोगकर्ता सूचना और सहमति पर लागू होगा.

उपयोगकर्ताओं को स्वीकार्य सामग्री के बारे में स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड यह सिफ़ारिश करता है कि Facebook, उपयोगकर्ताओं को इस सामुदायिक मानक के दायरे और प्रवर्तन के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करे. प्रवर्तन मानदंड सार्वजनिक होना चाहिए और Facebook के आंतरिक कार्यान्वयन मानकों के अनुरूप होना चाहिए. खास तौर पर, Facebook के मानदंडों में उपयोगकर्ता और ऑडियंस के इरादे, पहचान और संदर्भ को संबोधित किया जाना चाहिए.

प्रक्रियात्मक नोट:

पर्यवेक्षण बोर्ड के फ़ैसले पांच सदस्यों का पैनल तैयार करता है और बोर्ड के ज़्यादातर सदस्यों को इस पर सहमत होना चाहिए. यह ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड के निर्णय सभी सदस्यों के व्यक्तिगत विचारों को दर्शाते हों.

इस मामले के निर्णय के लिए, बोर्ड की ओर से स्वतंत्र शोध की गई थी. एक स्वतंत्र शोध संस्थान, जिसका मुख्यालय गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में है और छह महाद्वीपों के 50 से ज़्यादा सामाजिक वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ-साथ दुनिया भर के 3,200 से ज़्यादा देश विशेषज्ञों ने सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर विशेषज्ञता प्रदान की. Lionbridge Technologies, LLC कंपनी ने भाषाई विशेषज्ञता प्रदान की, जिसके विशेषज्ञ 350 से ज़्यादा भाषाओं में पारंगत हैं और दुनिया भर के 5,000 शहरों से काम करते हैं.